



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| (1). निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | (2). समस्त विभागाध्यक्षगण,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| (3). विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। | (4). डा0 संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| (5). श्री आशीष कुमार गुप्ता,
असिस्टेंट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ। | |

पत्रांक २७३९/पत्रा.सं०-568(द्वि०)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि०परि०/2020-21

दिनांक: 19 मार्च, 2021

विषय:- डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या परिषद की 18वीं बैठक
दिनांक: 06 मार्च, 2021 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक: 06 मार्च, 2021 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
मा० विद्या परिषद् की 18वीं बैठक
दिनांक: 06 मार्च, 2021 का कार्यवृत्त

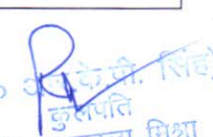
समय—	अपराह्न : 01:00 बजे
स्थान—	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद् की 18वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

बिन्दु सं०	कार्यवाही
1/18	मा० विद्या परिषद् की 17वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा० विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
2/18	मा० विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में। निर्णय:-मा० विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/18	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में दिनांक 17.12.2020 को आहूत बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक के बिन्दु संख्या-1 (Discussion and approval of the study Evaluation Scheme/syllabi for M.C.A. two years as per AICTE (2020-21 onwards) में लिए गये निर्णय पर विचार। निर्णय:- विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में दिनांक: 17 दिसम्बर, 2020 को आहूत बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में एम०सी०ए० के 02 वर्षीय पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में मा० विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रकरण पर कुछ आवश्यक तथ्यों के संबंध में जानकारी चाही गयी परन्तु संकायाध्यक्ष, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय के मा० विद्या परिषद् की बैठक में अनुपस्थित होने के कारण उचित जानकारी प्राप्त न हो पाने के दृष्टिगत उपरोक्त प्रकरण को आगामी विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्देश प्रदान किया गया। उपर्युक्त प्रकरण के क्रम में विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० आर० के० श्रीवास्तव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्व में एम०सी०ए० 03 वर्ष का हुआ करता था, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 545वीं बैठक में सम्बन्धित पाठ्यक्रम को 02 वर्ष का कर दिया है जिसको विश्वविद्यालय में संचालित कम्प्यूटर साइंस विभाग की दिनांक: 17 दिसम्बर, 2020 को आहूत बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पास कर दिया गया है जो कि निम्नानुसार है:- The proposed syllabi and study Evaluation Scheme of M.C.A. were discussed in details. The board subsequently approved the syllabi the Study Evaluation Scheme/syllabus for MCA.


डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

- 1 -


डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	उक्त एम0सी0ए0 के परिवर्तित 02 वर्षीय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में मा0 विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुरूप क्रेडिट आवर्स इत्यादि का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करने हेतु निर्णय प्रदान किया गया।																											
4 / 18	विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों हेतु पुनः पंजीकरण एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों हेतु पुनः पंजीकरण एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में कुलानुशासक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए पाठ्यक्रमवार विद्यार्थियों हेतु पुनः पंजीकरण एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण किये जाने की संस्तुति की गई जिसे शैक्षणिक सत्र 2020-21 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु कार्यालय-आदेश संख्या-2486/पत्रा0सं0-179(III)/शुल्क निर्धारण/शै0अनु0/2020-21, दिनांक 01 मार्च, 2021 द्वारा विद्यार्थियों प्रसारित कर दिया गया है। मा0 विद्या परिषद द्वारा उक्त समिति द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण का अवलोकन/विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियमावली बनने एवं परीक्षा नियमावली (यथा संशोधनों सहित) क्रियान्वित होने के उपरान्त पुनः शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया जाना समीचीन होगा।																											
5 / 18	विश्वविद्यालय में कालेज फॉर डेफ के संचालन के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से डेफ कालेज की योजना का संचालन होना है, वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा निर्मित भवन का हस्तान्तरण भी हो चुका है। विश्वविद्यालय में बधिर दिव्यांगजन हेतु कालेज फॉर डेफ में संचालित होने वाला पाठ्यक्रम प्रदेश के किसी संस्थान में संचालित नहीं है। अतएव The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 के मूल उद्देश्यों को पूर्ण करने, सम्पूर्ण भारत में बधिर दिव्यांगजन के लिए सुगम व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थान न होने के कारण भारत सरकार द्वारा बधिर दिव्यांगजनों के व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि एवं गुणात्मक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर भारत के प्रथम 'कालेज फॉर डेफ' की स्थापना विश्वविद्यालय में की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा B.Voc. in Graphics & Animation Designing पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 07 शैक्षिक, 08 गैर-शैक्षिक एवं 16 तकनीकी पदों के सृजन के प्रस्ताव को शासन को प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। कालेज फॉर डेफ में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम की अवधि 03 वर्ष ही निर्धारित है, परन्तु इसमें निम्न तालिकानुसार समय-समय पर अवधि पूर्ण होने पर तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अभिरुचि/क्षमता के अनुसार निर्धारित समयावधि पूर्ण करते हुए पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वर्षानुवर्ष डिग्री स्तर तक पठन-पाठन की किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहेगी :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>पाठ्यक्रम का स्तर</th><th>पाठ्यक्रम की अवधि</th><th>प्रस्तावित विद्यार्थियों की संख्या</th><th>कक्षाओं की संख्या</th><th>अभ्युक्ति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>सर्टीफिकेट स्तर</td><td>छः माह</td><td>30</td><td>01</td><td rowspan="4">रिक्तता की स्थिति में समय-समय पर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम Multiple Entry/Exit व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जाना प्रस्तावित है।</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>डिप्लोमा स्तर</td><td>01 वर्ष</td><td>30</td><td>01</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>एडवांस डिप्लोमा स्तर</td><td>02 वर्ष</td><td>30</td><td>01</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>डिग्री स्तर</td><td>03 वर्ष</td><td>30</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रस्तावित विद्यार्थियों की संख्या	कक्षाओं की संख्या	अभ्युक्ति	1.	सर्टीफिकेट स्तर	छः माह	30	01	रिक्तता की स्थिति में समय-समय पर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम Multiple Entry/Exit व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जाना प्रस्तावित है।	2.	डिप्लोमा स्तर	01 वर्ष	30	01	3.	एडवांस डिप्लोमा स्तर	02 वर्ष	30	01	4.	डिग्री स्तर	03 वर्ष	30	01
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रस्तावित विद्यार्थियों की संख्या	कक्षाओं की संख्या	अभ्युक्ति																							
1.	सर्टीफिकेट स्तर	छः माह	30	01	रिक्तता की स्थिति में समय-समय पर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम Multiple Entry/Exit व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जाना प्रस्तावित है।																							
2.	डिप्लोमा स्तर	01 वर्ष	30	01																								
3.	एडवांस डिप्लोमा स्तर	02 वर्ष	30	01																								
4.	डिग्री स्तर	03 वर्ष	30	01																								

कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ
— 2 —

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

उक्त पाठ्यक्रम में कोई विद्यार्थी प्रथम बार विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर छः माह की अवधि पूर्ण/उत्तीर्ण होने पर प्रथम प्रमाण-पत्र के रूप में सर्टीफिकेट, इसके उपरान्त प्रवेश से 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर डिप्लोमा का द्वितीय प्रमाण-पत्र, इसी प्रकार प्रवेश से 02 वर्ष पूर्ण होने पर एडवांस डिप्लोमा का तृतीय प्रमाण-पत्र एवं अन्त में उक्त पाठ्यक्रम में सतत रूप से 03 वर्ष पूर्ण करने एवं उत्तीर्ण होने पर (B.Voc. in Graphics & Animation Designing) डिग्री का चतुर्थ व अन्तिम चरण का डिग्री प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। उक्त चक्रानुक्रम की व्यवस्था का चार्ट निम्नानुसार है :-

NSQF Level	Skill Component Credits	General Education Credits	Total Credits for Award	Normal Duration	Exit Points / Awards
1.	18	12	30	One Sem.	Certificate
2.	36	24	60	Two Sem.	Diploma
3.	72	48	120	Four Sem.	Advanced Diploma
4.	108	72	180	Six Sem.	B.Voc Degree

कालेज फॉर डेफ की स्थापना से श्रवण बाधित दिव्यांगजन को नवीन तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराये जाने से कालेज का सुगम संचालन हो सकेगा।

मा0 विद्या परिषद कृपया विश्वविद्यालय में कालेज फॉर डेफ में शैक्षिक सत्र 2021-22 से B.Voc. in Graphics & Animation Designing पाठ्यक्रम संचालन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6/18	विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की अष्टम् बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णय पर विचार।
	निर्णय:-मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की आहूत अष्टम् बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2021 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/18	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
	(1) परीक्षा समिति की 'अष्टम' बैठक शब्द के प्रयोग पर विचार।
	निर्णय:-मा0 विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्रा, इतिहास विभाग द्वारा परीक्षा समिति की अष्टम बैठक में प्रयुक्त हुए शब्द 'अष्टम' पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पूर्व में आहूत परीक्षा समिति की बैठकों के क्रमांक सही हैं अथवा नहीं। मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति के गठन तथा परीक्षा समिति के गठन की तिथि से वर्तमान तक आहूत हुई बैठकों का सम्पूर्ण विवरण परीक्षा नियंत्रक विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
	किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्वाद बैठक का समापन किया गया।

कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.क.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ